आय-कर अथवा बिक्री-कर की चोरी का ऐसा कोई मामला नहीं पकड़ा गया है । हां, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, मैसर्स पटेल सोमभाई कंचन लाल एण्ड कम्पनी फतेहपुरी, दिल्ली के एक कर्मचारी श्री ओमप्रकाश के कब्जे से 13,12,653 रु. की नकदी पकड़ी गयी थी और उसके बाद 1,04,151 रु. की रकम, फर्म के कार्यालय से भी पकड़ी गयी । प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि पैसा बेनामी नामों में भेजा जा रहा था और जिन पार्टियों के नाम राशि का भेजा जाना आशयित था, वे, अधिकांशतः थी ही नहीं । आगे जांच की जा रही है और उचित समय पर कानून के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी । इस बात की भी जांच की जा रही है कि उपर्युक्त मामले में बिक्री-कर की चोरी तो नहीं की गयी है । यदि किसी प्रकार की चोरी पकड़ी जाती है तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी ।

निर्यात प्रयोजनों के लिए नगद सहायता में घपला

3679. **श्री तारिक अनवर:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निर्यात प्रयोजनों के लिए दी गई नगद सहायता में बड़े पैमाने पर घपला हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्यात के लिए नगद सहायता देने से पहले और बाद में इस बात की जांच नहीं की जाती कि क्या निर्यात वास्तविक रूप में हुआ है और क्या इस प्रकार अर्जित विदेशी मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त हो गई है;

(ग) क्या इस प्रकार का कोई विचार है कि नगद सहायता केवल उन व्यक्तियों को दी जानी चाहिए, जिनकी विदेशी मुद्रा

(घ) बोगस दस्तावेजों के आधार पर दी जा रही नगद सहायता पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खां): (क) जी नहीं । तथापि, कुछेक मामलों में यह जानकारी में आया था कि कतिपय बेईमान पार्टियों ने जाली दस्तावेजों के आधार पर नकद प्रतिपूर्ति सहायती प्राप्त की थी। इन मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) नकद प्रतिपूर्ति सहायता प्राप्त करने के लिए एक निर्यातक को निर्यात के प्रमाण के रूप में सीमाशुल्क कार्यालय से विधिवत अधिमाणित शिपिंग बिल की निर्यात संवर्धन प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होती है । उसे बैंक द्वारा अनुप्रमाणित बीजक तथा निर्यातों का बैंक प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने होते हैं जिसमें बैंक यह प्रमाणित करते हैं कि उन्होंने निर्यातक द्वारा लिखित निर्यात बिल तय कर लिए है/क्रय कर लिये है/संग्रहण के लिए भेज दिये है। जहां निर्यातों के आधार पर विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं की जाती–बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उसकी रिपोर्ट देते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण के आधार पर संवितरण प्राधिकारी जिन निर्यातों के आधार पर विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं की गई हो उस पर संदत्त नकद प्रतिपूर्ति सहायता की राशि की वसूली करता है ।

(ग) परेषण आधार पर बिक्रियों के मामले में नकद प्रतिपूर्ति सहायता निर्यातों के आधार पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति दर्शाने वाले बैंक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाती है अन्य मामलों में नकद प्रतिपूर्ति सहायता विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के प्रमाण पर जोर दिये बिना ही निर्यात के बैंक प्रमाणपत्र के आधार पर दी जाती है । निर्यात की तारीख तथा विदेशी मुद्रा की

राल होता है अत: यदि हम नकद प्रतिपूर्ति सहायता देने से पूर्व विदेशी मुद्रा की प्राप्ति पर आग्रह करेंगे तो निर्यातकों की पूंजी अवरुद्ध हो जाएगी। इससे निर्यात संवर्धन के लिए हमारे प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा निर्यातों के आधार पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति दर्शाने वाला बैंक प्रमाणपत्र भी जाली बनाए जा सकते हैं। अत: कोई परिवर्तन आवश्यक या वांछनीय नहीं समझा जाता ।

(घ) नकद प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण की योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि बैंकों को चाहिए कि वे निर्यात के बैंक प्रमाणपत्र की अनुलिपियां संवितरण अधिकारी को सीधे ही भेजें । इनका नकद प्रतिपूर्ति सहायता के लिए निर्यातक द्वारा उसके दावे सहित प्रस्तुत बैंक प्रमाणपत्र के साथ मिलान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक प्रतिशतता आधार पर निर्यातक द्वारा प्रस्तुत बैंक प्रमाणपत्र उनकी प्रमाणिकता के सत्यापन के लिए जारीकर्ता बैंक को सीधे ही भेजे जाते हैं।

(ङ) जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने की संभावना से उत्पन्न होने वाले जोखिम का कारगर ढंग से परिहार करने के लिए मार्गोपाय ढूंढ़ने के उद्देश्य से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सीमाशुल्क कार्यालय के अधिकारियों का एक लघु कार्यकारी दल स्थापित किया गया है।

Devaluation of Rupee

3680. SHRI AMAR ROYPRADHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state the number of times Indian rupee has been devalued since Independence and the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): The rupee was devalued twice since Independence. The first devaluation took place in September, 1949 to the extent of 30.52 per cent. The second devaluation took place on the 6th June, 1966 to the extent of 36.5 per cent. The devaluation on both the occasions was necessitated to help restore balance of payment equilibrium in the economy.

With effect from 25th September, 1975 the Government adopted an exchange rate system under which the value of the rupee is fixed not in terms of any one currency but in terms of a basket of currencies. Under this system the term devaluation loses its original meaning. The exchange rate of the rupee in terms of pound sterling (which is the "intervention currency") is calculated from the fixed basket using the exchange rates between the various component currencies as determined in international currency markets. As these exchange rates change, the exchange rate of the rupee in terms of pound sterling changes and accordingly the rupee is revalued upwards or downwards in relation to the sterling.

Under this arrangement, the exchange rate of the rupee *vis-a-vis* pound sterling has been adjusted upwards or downwards 62 times since the adoption of multi-currency basket (with effect from September 25, 1975) till the latest change announced by the Reserve Bank of India on November 24, 1980.

Loans advanced by branches of Bank of Baroda and Dena Bank in Gujarat

3681. SHRI CHHITTUBHAI GAMIT: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the amounts of loan advanced for different purposes from 1977 to June, 1980 by the Kukarmunda, Nijhar and Puchahal granches of Bank of Baroda and Dena Bank in Surat District of of Gujarat;

(b) the amount of loans out of them given to Adivasis, Harijans and small farmers;

(c) whether it is a fact that people and elected representatives of the people have made several complaints